

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

विविध अपील वाद सं०- 19../2019

①


पवन रेखा शर्मा -बनाम- राज्य एवं अन्य

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 28.06.2019 को दायर आवेदन के साथ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित आदेश W.P.(c) No.-1083/2016, पवन रेखा शर्मा -बनाम- राज्य एवं अन्य में दिनांक 28.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में वाद पंजीकृत किया जाता है। संबंधित पारित आदेश निम्नवत है :-

"However, the petitioner is directed to approach the Deputy Commissioner, Giridih by filing an appeal within eight weeks from the date of this order. If such appeal is filed, the Deputy Commissioner, Giridih will consider the appeal on merits and pass a details reasoned order within four weeks, which should be communicated to the petitioner within four weeks from the date of disposal of the appeal."


उक्त के आलोक में संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करें।  
अभिलेख दिनांक 9../7../19...को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

  
जिला दण्डाधिकारी

-सह-

उपायुक्त, गिरिडीह।

  
जिला दण्डाधिकारी

-सह-

उपायुक्त, गिरिडीह।

9/7/19 अभिलेख उपस्थापित। अपीलवादी  
द्वारा वकालत हाजरी क्षम  
किया गया है परन्तु पावरनामा संलग्न  
नही किया गया है।

इस अभिलेख को इन्फार्म कास्टार  
लेतु जिला सभाज कल्याण पदाठ को भेजें।

